



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या: 1455-कार्य/चौदह-पाकालि/2011-6-के/2001

दिनांक: 15 दिसम्बर, 2011

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल,
विद्युत वितरण निगम लि०,
लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी/कैसको-कानपुर।

विषय : बाह्य एजेन्सियों (ठेकेदारों/संविदाकारों) के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्य पर रखे जाने वाले संविदा श्रमिकों की सेवा शर्तों एवं दुर्घटनाओं आदि के सम्बन्ध में।

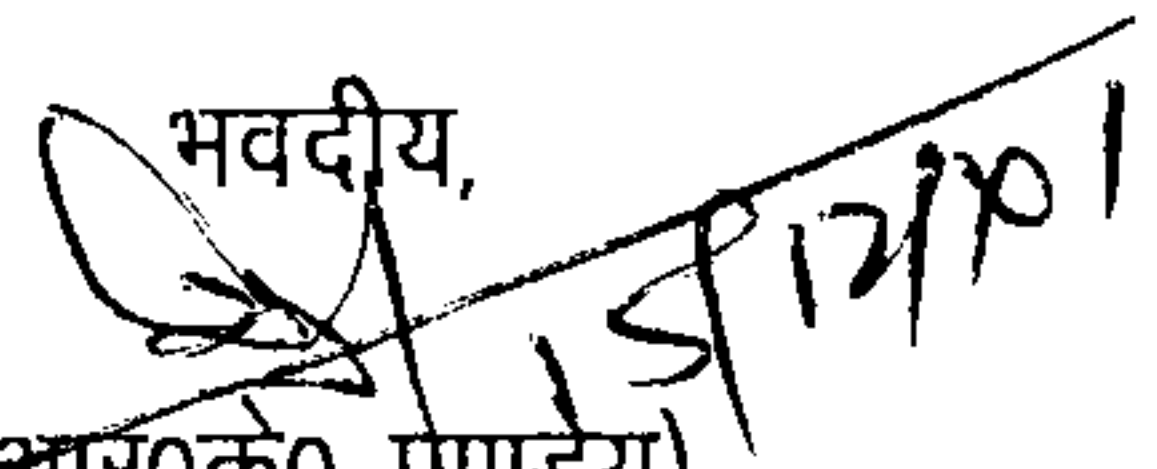
महोदय,

कृपया कारपोरेशन के पत्रांक 1388 कार्य-चौदह/पाकालि/2011 दिनांक 03.12.11 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा पत्रांक 3617-औ०स०-07-26(2)/ए०एस०/06, दिनांक 30.10.2009 की प्रति, जो बाह्य एजेन्सियों (ठेकेदारों/संविदाकारों) के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्य पर रखे जाने वाले संविदा श्रमिकों की सेवा शर्तों एवं दुर्घटनाओं आदि की व्यवस्था के संबंध में है, के अनुसार व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या निश्चित समयान्तराल पर मुख्यालय को प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था।

उक्त संदर्भ में पत्रांक 1058 औ०स०-07-26(2)/ए०एस०/06, दिनांक 22.03.10 की प्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि बाह्य एजेन्सियों (ठेकेदारों/संविदाकारों) जिनके माध्यम से उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्य पर रखे जाने वाले संविदा श्रमिकों की आपूर्ति का अनुबन्ध किया जाता है उनके अर्हता प्रस्तरों में कार्मिकों को कार्य सम्बन्धित 'टी एण्ड पी' यथा प्लायर, सेफ्टी बेल्ट, दस्ताने, सीढ़ी आदि की उपलब्धता से सम्बन्धित घोषणा पत्र पार्ट-1 में लिया जाना सुनिश्चित किया जाय। अनुबन्ध करते समय इस बिन्दु को अंकित कर लिया जाय कि अनुबन्ध के पश्चात यदि ठेकेदार द्वारा अपने स्तर से 'टी० एण्ड पी०' उपलब्ध नहीं कराये जाने की सूचना प्राप्त हो तो कारपोरेशन/निगम स्तर से 'टी० एण्ड पी०' उपलब्ध करा दी जायेगी एवं तदनुसार ठेकेदार के बीजकों से धनराशि की कटौती कर ली जायेगी।

कृपया उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या निश्चित समयान्तराल पर मुख्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० पाण्डेय)

का०अपर सचिव (प्रथम)

संख्या : 1455-कार्य/चौदह-पाकालि/2011 तददिनांक



प्रतिलिपि सलाहकार (औ०स०), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक 3262-औ०स०/2011-89-ए०एस०/96, दिनांक 18.10.2011 एवं कार्य अनुभाग के आपको पृष्ठांकित पत्रांक 1388 कार्य-चौदह/पाकालि/2011 दिनांक 03.12.11 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०के० पाण्डेय)
का०अपर सचिव (प्रथम)